

A Comparative Study about the Adjustments of Normal and Physically Challenged Students in the Metro City of Kanpur

Kuldeep Kumar Gupta,

Lecturer, Department of Education, Sitaram Samarpan Mahavidyalaya Banda - Uttar Pradesh

ABSTRACT:

Man is the most important of God's creation in nature. Education enhances his capabilities and empowers him to reach at the peak of success. It is also well known that a healthy mind lives in a healthy body. Our body will be healthy if all our senses i.e. the sense of sight, smell, hear, taste and touch work properly to adjust in its environment. Unfortunately for some people, any of these senses may not work properly. Such types of people are called physically challenged people. This paper presents a comparative study about the adjustments of normal and physically challenged students in the metro city of Kanpur.

प्रकृति की रचना में निःसन्देह मनुष्य सर्वोत्तम कृति है। शिक्षा उस मनुष्य का परिमार्जन करके उसे जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारे मन मस्तिष्क में शिक्षा का दिव्यपुंज प्रज्वलित हो सकता है। जब हमारी सभी ज्ञानेन्द्रियां उचित रूप से कार्य करेगी तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जिसमें सभी शक्तियों उसके विकास के लिये तथा वातावरण से समायोजन के लिये विद्यमान है यथा दृश्येन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, स्वादेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय। परन्तु दुर्भाग्य से कुछ व्यक्तियों के इन्द्रिय संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को विकलांग व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। विकलांगता दो प्रकार की होती है। शारीरिक विकलांगता एवं मानसिक विकलांगता।

शारीरिक विकलांगता में दृष्टि, श्रवण, मूक, अस्थि आदि की विकलांगता आती है एवं मानसिक विकलांगता में व्यक्ति सोचने-समझने में पूर्णतयः या आंशिक रूप से असमर्थ रहता है अर्थात् उनमें बुद्धि की कमी रहती है।

जिस व्यक्ति के शरीर या मन में कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति सामान्य जीवन जीने में बाधा अनुभव करता है। इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है शिक्षा के द्वारा उनकी विकलांगता को दृष्टिगत रखते हुए उनको शिक्षा दी जाती है। उस शिक्षा को पाकर व्यक्ति अपनी क्षमता को बढ़ाता है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करता है। देश का विकास उसके नागरिकों के विकास पर निर्भर करता है। सरकार शिक्षा के द्वारा अपने नागरिकों को सशक्त बनाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

आज लगभग प्रत्येक देश में इस प्रकार के व्यक्ति है। कोई जन्म से विकलांग होता है तो कोई किसी कारणवश विकलांगता का शिकार हो जाता है। अनुमानतः सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या में लगभग 500 मिलियन लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हैं। विकासशील देशों में विकलांगता का प्रतिशत अधिक है। इस गम्भीर समस्या को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी समझा गया तथा विकलांगता उन्मूलन हेतु प्रयास किये गये।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983-92 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दशक घोषित किया तथा वर्ष 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया। प्रतिवर्ष **19 मार्च** को **विश्व विकलांग दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार विकलांगता उन्मूलन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है।

भारत में विकलांगता की समस्या अधिक व्यापक रूप में है। सम्पूर्ण विश्व की विकलांग जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत भाग अकेले भारत में ही पाया जाता है। राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण 1981 की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 10,000 जनसंख्या पर विकलांगों की संख्या इस प्रकार है—

क्र.सं.	विकलांग का स्वरूप	ग्रामीण	शहरी
1.	दृष्टि विकलांग	553	356
2.	बधिर विकलांग	553	390
3.	मूक	304	279
4.	गतिशील विकलांग	828	670

उपर्युक्त आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि गतिशील विकलांगता के पश्चात् द्वितीय स्थान पर बधिर विकलांगों की संख्या सर्वाधिक है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज प्रत्येक देश अपने नागरिकों के चहुँमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है। अतः इस समस्या के प्रति भी लोगों में जागरूकता आयी है। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में विकलांगों को भौतिक सुख-सुविधायें दिलाने, उनके हित रोजगार, शिक्षा, मनोरंजन आदि का प्रबन्ध कराने के लिए प्रयास शताब्दी के प्रारम्भ से शुरू हो चुके हैं। आज जनता में विकलांगता के प्रति जागरूकता तेजी से फैल रही है इनके लिए कार्य करने वाली समाजसेवी संस्थायें विकलांगों को उनका हक दिलाने हेतु प्रयासरत है। भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। तथा विकलांगता का प्रतिशत घटाने हेतु पल्स पोलियों कार्यक्रम का आरम्भ किया है। इन्हें रोजगार दिलाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्थापना की गयी है। अब प्रश्न उठता है, मूक-बधिर विकलांग किसे कहेंगे?

एक व्यक्ति की सुनने की क्रिया से 20,000 हर्ट्ज प्रति सेकेण्ड तक के आवृत्ति विस्तार से सम्पन्न होती है। अर्थात् इन आवृत्तियों के मध्य व्यक्ति सुन सकता है तथा सुनकर बोल सकता है। बधिर व्यक्तियों की आवृत्ति का विस्तार 80-90 हर्ट्ज तक होता है। श्रवण निर्योग्यता चिकित्सा विज्ञान के आधार पर **90 db** से प्रारम्भ होती है। यदि किसी बच्चे में शून्य **db** की श्रवण निर्योग्यता है तो इसका अर्थ है यह सूक्ष्म ध्वनि में श्रवण विभेदन करने की क्षमता रखता है परन्तु **90 db** से अधिक निर्योग्यता विकलांगता का परिचायक है। ऐसी स्थिति में भाषा विकास बाधित होता है और अध्ययन क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सुनना एक प्रमुख क्रिया है जिसके माध्यम से सम्प्रेषण होता है सुनने की क्रिया पर ही बोलने की क्रिया निर्भर करती है क्योंकि जब कोई बालक सुन नहीं पाता है तो बोलना भी सीख नहीं पाता है और मूक हो जाता है। इस प्रकार एक बच्चा जो श्रवणहीन होगा वह मूक भी होगा अथवा उसके बोलने की क्रिया देर से हो सकती है ये दोनों क्रियायें एक-दूसरे से परस्पर सहसम्बन्धित हैं।

यह दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं—

1. प्रारम्भिक मूक-बधिरता-

वे बालक जो जन्म से ही बधिर होते हैं तथा इनमें भाषा विकास नहीं हो पाता है अर्थात् ये भाषा सीखने में असमर्थ होते हैं परन्तु अनेक पद्धति द्वारा इनमें भाषा विकास किया जा सकता है।

2. किसी कारणवश उत्पन्न होने वाली मूक-बधिरता-

इसमें वे बालक आते हैं जो सामान्य पैदा होते हैं तथा ये सुन सकते हैं बोल भी सकते हैं परन्तु बाद में किसी कारणवश ये अपनी श्रवण शक्ति खो देते हैं इनमें पूर्व में ही भाषा का विकास हो चुका होता है। इसलिए ये बोलकर अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं, जो कुछ वह पूर्व में सीख चुके होते हैं।

चिकित्सा की दृष्टि से इन्हें पाँच भागों में विभाजित किया गया -

क्र.सं.	श्रेणी	सुनने का स्तर
1.	Mild	20 - 30 db
2.	Marginal	30 - 40 db
3.	Moderate	40 - 60 db
4.	Sarere	60 - 75 db
5.	Profound	75 and above

बालकों के विकास का प्रत्येक पहलू न सुनने की क्रिया से प्रभावित होता है। यह बालक वातावरण से समायोजन में बाधा उत्पन्न करता है। शारीरिक दोष के कारण बालक को अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र इस प्रकार है-

मूक बधिरता बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। भाषा विकास के अभाव में बालक किसी ज्ञान को देर से ग्रहण कर पाता है। संज्ञानात्मक विकास तथा भाषा के मध्य सह-सम्बन्ध के विषय में अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति है। कुछ लोगों का मानना है कि संज्ञानात्मक योग्यता के विकास के लिए भाषा आवश्यक है। भाषा के अभाव में कोई व्यक्ति किसी वस्तु अथवा कारण के विषय में ठीक से सोच नहीं सकता है। दूसरे मत के अनुसार- बौद्धिक विकास के लिए भाषा आवश्यक नहीं वरन् भाषा का विकास बुद्धि के विकास पर निर्भर करता है। शैक्षिक निर्देशन एवं निरन्तर अनुभवों के अभाव में संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता है। वास्तव में ये दोनों एक-दूसरे से सम्बन्धित है।

अधिकांश मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मूक बधिर विद्यार्थी अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण शाब्दिक होते हैं और इन विद्यार्थियों का शब्दकोष विकसित नहीं होता है। अतः ये अपनी क्षमताओं, भावनाओं, विचारों का प्रकटीकरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन बालकों को मानसिक रूप से मन्दबुद्धि बालकों की संज्ञा दे दी जाती है किन्तु ये बालक बौद्धिक क्षमता में सामान्य बालकों के समान ही होते हैं।

बधिर बालकों के भाषाई विकास में सबसे अधिक बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि वह दूसरे द्वारा बोली गयी भाषा को सुन नहीं सकते हैं। भाषा अपने आपमें जटिल मानवीय कौशल है। बधिर को भाषा सीखनी पड़ती है और पढ़ने का कार्य भाषा के माध्यम से ही सम्भव है। पढ़ने की योग्यता एवं भाषाई विकास एक-दूसरे पर निर्भर है, इसी कारण बधिर बालकों में पढ़ने की योग्यता का विकास करना भी जटिल कार्य है।

प्राकृतिक विधियों के प्रयोग से इन बालकों में भाषा का विकास किया जा सकता है। इसमें ओष्ठ द्वारा पढ़ना, लेखन एवं पढ़ने की प्रक्रियाओं के प्रयोग से धीरे-धीरे सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है।

मूक बधिरता शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। यह स्वाभाविक है क्योंकि शैक्षिक उपलब्धि के लिए पढ़ने या लिखने की योग्यता का होना एक आवश्यक पक्ष है। विभिन्न शोधों से बात प्रकट होती है कि मूक बधिर बच्चे मन्द बुद्धि होते हैं। परन्तु इनमें यह प्रकट नहीं किया गया कि इनमें उपलब्धि अर्जित करने की क्षमता नहीं होती है। यदि इन विद्यार्थियों को विभिन्न तकनीकी एवं शिक्षण विधियों से सिखाया जाये तो ये उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित कर सकते हैं। मूक बधिर बालकों में शारीरिक दोष के कारण मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसमें, समायोजन की समस्या, मनोस्नायु विकृति हीनता की भावना, अवसादग्रस्तता आदि है। इनके समक्ष सबसे प्रमुख समस्या समायोजन की है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शताब्दियों पूर्व कहा गया **अरस्तु** का कथन पूर्णतः सत्य है – *“एक व्यक्ति जो समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ नहीं रहता, वह या तो देवता है या पशु।”*

अन्य शब्दों में मनुष्य की समाज में अलग रहकर जीवन व्यतीत करने की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति का जीवन उसकी समृद्धि तथा प्रगति समाज में ही सम्भव है। समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व के उद्गम स्रोत है। व्यक्ति जन्म से ही समाज के सम्पर्क में आता है तथा समाज में रहकर ही उसके सभी क्रिया कलाप होते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज पर निर्भर है इसलिए व्यक्ति को प्रतिक्षण समाज तथा वातावरण से समायोजन करना पड़ता है।

सुसमायोजन सफलता व आनन्द की कुंजी है। स्पष्ट है कि मानव जीवन का लक्ष्य सुसमायोजन स्थापित करना है जिसके लिए वह निरन्तर प्रयास करता रहता है। कुछ लोग समायोजन की आवश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप इनमें अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है, तथा कुण्ठा, उग्रता, असन्तोष एवं अराजकता की भावना उत्पन्न होती है वह व्यक्तित्व के कुसमायोजन का प्रतीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामान्य विकास के लिए समायोजन अति आवश्यक है।

चूंकि प्रस्तुत अनुसंधान का उद्देश्य समायोजन केन्द्रित है। अतः अब हमारे समक्ष प्रश्न उठता है कि समायोजन क्या है? किस व्यक्ति को सुसमायोजित कहेंगे तथा किसे कुसमायोजित? समायोजन को सामान्यतः इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है।

प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में स्वयं का अनुकूल ही समायोजन कहलाता है—

स्कनर ने समायोजन को इस प्रकार दर्शाया है—

“समायोजन के शीर्षक के अन्तर्गत हमारा अभिप्राय इन बातों से है— सामूहिक क्रियाकलापों में स्वस्थ तथा उत्साहमय ढंग से भाग लेना, समय पढ़ने पर नेतृत्व का भार उठाने की समता तक उत्तरदायित्व वहन करना, तथा सबसे बढ़कर समायोजन में अपने को किसी प्रकार से धोखा देने की प्रवृत्ति से बचना है।”

गोटेस व अन्य—

“समायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच सन्तुलित सम्बन्ध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है।”

स्मिथ के अनुसार—

“अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। यह कुण्ठाओं, तनाओं तथा दुश्चिन्ताओं को जहाँ तक सम्भव है, कम करता है।”

सामान्यतया समायोजन की प्रक्रिया में तीन तत्व पाये जाते हैं— प्रेरणा, कुण्ठित करने वाली परिस्थितियाँ तथा विधिक क्रियायें।

1. समायोजन की प्रक्रिया किसी आवश्यकता या प्रेरणा से आरम्भ होती है।
2. यदि परिवेश की परिस्थितियाँ आवश्यकताओं की तुष्टि से बाधक बनती हैं तो व्यक्ति इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार समायोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। कुण्ठित करने वाली परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार की क्रियायें करता है ये अनुक्रियायें सामान्य भी हो सकती हैं तथा असामान्य भी। इन अनुक्रियाओं के परिणामस्वरूप व्यक्ति का वातावरण से समायोजन हो जाता है।

मूक बधिर बालकों के समक्ष सबसे अधिक समस्या समायोजन की होती है। चूंकि ये बालक बोलने तथा सुनने में अक्षम होते हैं, इसलिए ये अपने विचारों, संवेगों का आदान-प्रदान नहीं कर पाते हैं। यह बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलना व बोलना चाहते हैं परन्तु उनका सहयोग न मिल पाने के कारण ये अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं इससे बच्चों में बनाव उत्पन्न होता है तथा इस प्रकार ये अक्रामक व्यवहार करने वाले तथा अपराधी हो जाते हैं। इनके संगी-साथ भी कम होते हैं। घर के लोग भी इनके साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं तो इनकी कुण्ठा और सामाजिक कुसमायोजन का स्तर बढ़ जाता है।

विद्यालय में भी ये बच्चे कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। ये अपनी शैक्षिक समस्याओं से अध्यापकों को अवगत नहीं करा पाते हैं। साथ ही इन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया भी जटिल होते हैं तथा न किसी ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। बड़े होने पर इनके समक्ष व्यवसाय की समस्या उत्पन्न होती है। इन्हें आसानी से कहीं रोजगार भी नहीं मिल पाता है। अतः ये परिस्थितियाँ व्यक्ति के वातावरण से समायोजन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समायोजन आवश्यक है। हमारे अध्ययन के उद्देक मूक बधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन पर आधारित है। अतः हमें देखना है कि इनके तथा विद्यार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों के समायोजन में भिन्नता है अथवा नहीं प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इसी दिशा में एक प्रयास है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व—

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए समायोजन आवश्यक है। एक सुसमायोजित व्यक्ति ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो बालक पिछड़े होते हैं वे कुसमायोजन का शिकार होते हैं और यदि इनकी समस्याओं पर ध्यान न दिया जाये तो यह और भी पिछड़ते जाते हैं और परिणाम होता है छात्र का कक्षा में बार-बार फेल होना तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़

देना। इसलिए यह आवश्यक है कि सही समय पर इन विद्यार्थियों की पहचान की जाय तथा उचित निर्देशन व परामर्श द्वारा इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाये। प्रस्तुत लघु शोध कार्य मूक बधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन से सम्बन्धित है अतः हमारे लिए समायोजन का महत्व बढ़ जाता है।

यद्यपि मूक बधिर विद्यार्थियों में मानसिक रूप से कोई अन्तर नहीं पाया जाता है फिर भी ये विद्यार्थी कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं इनके व्यक्तित्व का समायोजन झगड़ालू या आक्रामक रूप से रूप से प्रकट हो सकता है। परिणामतः ये विकृत स्वभाव का रूप धारण कर सकते हैं। कभी-कभी इनके मानसिक सन्तुलन को इस प्रकार की धारणाओं से भारी चोट पहुँचती है तथा ये मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार इनके अन्दर प्रतिभायें होने पर भी उनका समुचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

शोध कार्य के आधार पर इनकी समायोजन सम्बन्धी समस्याओं को जानकर उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके इनकी उन्नति के लिए काय्र किये जा सकते हैं। इससे इनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होगी तथा इनकी छिपी प्रतिभाओं को उभारकर समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे इनमें आत्म विश्वास बढ़ेगा तथा हीनता की भावना समाप्त होगी और सामाजिक सुरक्षा की भावना आयेगी इस प्रकार इन विद्यार्थियों की क्षमताओं का प्रयोग करके सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया जायेगा।

अध्ययन के उद्देश्य—

शोधार्थी ने शोध कार्य के परिप्रेक्ष्य में जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया वे निम्न हैं—

1. मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के संवेगात्मक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना—

अनुसंधान कार्य की सफलता के लिए परिकल्पना निर्माण का चरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक जानकारी के आधार पर सम्बन्धित अन्वेषण को दिशा प्रदान करने के लिए किये गए पूर्वानुमान को ही परिकल्पना कहा जाता है। यह अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। यह सिद्धान्तों के निर्माण में सहायक होती है।

टाउन सेण्ड के अनुसार—

“परिकल्पना एक समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है।”

करलिंगर के अनुसार—

“एक कल्पना दो अथवा दो से अधिक चरों के सम्बन्ध के विषय में एक कल्पनात्मक कथन होता है।”

अध्ययनकर्त्री ने शोधकार्य की सफलता एवं सही निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए शून्य परिकल्पना ली है। इसमें दो चरों के सम्बन्धों में अन्तर को नहीं माना जाता है।

शोध की परिकल्पना—

शोधकर्त्री द्वारा चयनित समस्या “कानपुर महानगर के मूक बधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन” के लिए परिकल्पना इस प्रकार है—

“मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।”

उपलक्षणाएं—

1. मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के संवेगात्मक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
2. मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
3. मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

समस्या का परिसीमांकन—

सीमित उपलब्ध साधनों एवं समस्याओं की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान शोध अध्ययन निम्नलिखित क्षेत्र तक सीमित रखा गया है—

1. वर्तमान शोध कानपुर शहर के विद्यालयों तक सीमित रखा गया है।
2. अध्ययन केवल मूक बधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया है।
3. अध्ययन को केवल 14 से 18 वर्ष तक मूक बधिर एवं सामान्य विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया है।
4. 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया जिसमें 50 विद्यार्थी मूक बधिर तथा 50 विद्यार्थी सामान्य विद्यालय के लिए गये हैं।
5. अध्ययन को केवल तीन क्षेत्रों तक सीमित रखा गया है—
(क) संवेगात्मक (ख) सामाजिक (ग) शैक्षिक

अध्ययन का निष्कर्ष

किसी भी कार्य में प्राप्त परिणामों का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उन प्राप्त परिणामों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष पर न पहुँचा जाये। परिणामों की व्याख्या के समान ही निष्कर्ष के निरूपण के समय भी सूक्ष्म निरीक्षण विस्तृत दृष्टिकोण तथा तर्कसंगत चिन्तनशीलता की आवश्यकता होती है। विगत अध्याय में मूक बधिर तथा सामान्य विद्यार्थियों के समायोजन के संदर्भ में उनके संवेगात्मक, सामाजिक एवं शैक्षिक समायोजन के क्षेत्रों में प्राप्त हुए प्राप्तांकों का अलग-अलग एवं सम्मिलित रूप से विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत अध्याय में प्रदत्त के विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर ही निष्कर्ष दिये गये हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- i अरोरा, संतोष (1999): 'एडजेस्टमेन्ट एण्ड फैमिली क्लाइमेट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन' संदर्भित इण्डियन जनरल ऑफ साइकोमैट्री एण्ड एजुकेशनल, जुलाई, 2000
- ii बाला (1985) : भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका (1994)' प्रकाशक-भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, नई दिल्ली।
- iii भार्गव, महेश (2001): 'आधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं मापन' 13वाँ संस्करण, प्रकाशक- एच0वी0 भार्गव बुक हाउस, भार्गव भवन, कचेहरी घाट, आगरा।
- iv गोयल (1985): 'भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका (1996)' प्रकाशक-भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, नई दिल्ली।
- v गैरेट, हेनरी, ई.: 'स्टेटिक्स इन साइकोलॉजी एण्ड एजुकेशन'
- vi घई व सेन (1985): 'भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका (1996)' प्रकाशक-भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, नई दिल्ली।
- vii सिंह, जी0के0 (1982): 'ए स्टडी ऑफ एडजेस्टमेन्ट ऑफ मेन्टली गिफिटेड एण्ड रिटार्डेड चिल्ड्रन' (पी-एच0डी0), गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, सम्पादक- एम0बी0 बुच, वॉल्यूम प्रथम।